विभाग का नाम :—खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :—_आठवां तल, मयूर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

तारांकित प्रश्न संख्या :— 44—तारांकित
दिनांकः—10.08.2017
प्रश्नकर्त्ता का नाम :—श्री विजेंदर गर्ग
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :—

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या उत्सवों के अगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य—अपमिश्रण करने वालो को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं	जी, हॉ।
ख	यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा	आगामी उत्सवों के मद्देनजर खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य—अपमिश्रण को रोकने के लिए विगत वर्षो की तरह विशेष अभियान चलाने के लिए खाद्य संरक्षा अधिकारी दल को आवश्यक निर्देश जारी कर दिल्ली में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके खाद्य पदार्थों के नमूने उठाने तथा जॉच के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में विभाग द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर जनता को जागरूक किया जाता हैं।
ग	क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि फल और सब्जियों पर मोम व रसायनों की परत चढाई जा रही है, और	01—01—2016 से फल और सब्जियों के 198 नमूने उठाये गए हैं और उनकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मोम की परत नहीं पाई गई है, परन्तु उपरोक्त लिए गए नमूनों में से 3 नमूनों में रसायन की मात्रा पाई गई है, जिसमें एक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और बांकी 2 के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कि तहत कार्रवाई की जा रही है।
घ	यदि हाँ तो इस खतरनाक चलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?	इस खतरनाक चलन को रोकने के लिए विभाग ने अपने अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रत्यान बोर्ड (एन.ए.बी.एल.), अक्रीडेटेड प्रयोगशालाओं जो कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें भी पूरे दिल्ली में फल तथा सब्जियों के नमूने उठाने तथा जॉच के आदेश दिए हैं, ताकि फल एवं सब्जियों के ऊपर इस खतरनाक चलन की रोकथाम हो।